

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्राची ने एक प्रार्थना पत्र जरिए वकील अनन्तरिता धारा 212 Pt. 24 के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्राची अधिवक्ता के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पतावली के दस्तावेजों का अवलोकन किया व बहस पर भनन किया बाद अवलोकन व भनन प्राप्त प्राची के पक्ष में प्रघट्टा पाया गया।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक तक अन्तरिम अध्याय निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है कि ग्राम सभावा लैतावा लक्ष्मील लोखन में भूमि ख. नं. 267 रकबा 63.12 बीघा, ख. नं. 272 रकबा 19.14 बीघा, ख. नं. 376 रकबा 0.15 बीघा, ख. नं. 377 रकबा 70.18 बीघा, ख. नं. 379 रकबा 44.03 बीघा, ख. नं. 266 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 199.07 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण जाकर कब्जा काश्त न करे व भूमि का आगे कोई क्रेयान दस्तावेज न करे तथा मौके व रजिस्ट्र रिकॉर्ड की प्रथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थीगण को तामील हेतु नोटिस जारी है जिसे एक Pt. 24 से भेजे जाकर पतावली दिनांक 22/07/2019 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी

12/7/19 उक्त प्रार्थना पत्र के मुसवाद में प्राथमिक डिकी का निर्गत किया जा चुका है अतः प्राची व अप्रार्थीगण दोनों पक्षों को इस तहत पाबंद किया जाता है कि वह इस पतावली के मुलवाद के निस्तारण तक वर्तमान कल्प काश्त अनुसा ही कल्प काश्त करेंगे। कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष के एक हिस्से में

2019/00097

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>किमी प्रकार की दरख्त अन्दाजी माली खेज को और न ही किमी अन्य के करको। ... पंजाबली केसल शुमार शेकर नम्बर के एक कर शेकर मुकाम पंजाबली के माय सालान की जाने।</p> <p>महोदय जज एव कार्यपालक इण्डियन (फारम टैक) फलोदी</p>	